

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

क्रमांक:- एसडीएम/ अभियान/2018/130

दिनांक:- 14/05/2018

:: आदेश ::

प.सं. 115/18

प्रार्थी के "खाता दुरस्ती" प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार, डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बेवाप (उपली) पटवार मंडल चकोता तहसील एवं जिला डूंगरपुर की जमाबंदी संवत् 2073-76 में खाता संख्या 60 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र0सं0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1	<u>बेवाप (उपली)</u>	<u>60</u>	<u>कृ.चर। 87. शंकर</u> <u>नविदा बेवा शंकर</u> <u>डि. वि. शेष नदसु</u>	<u>कृ.चर। 87. शंकर</u> <u>जीजा बेवा शंकर</u> <u>डि. वि. शेष नदसु</u>

क्रमांक-सम/ 115 130

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1- तहसीलदार, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावे।

2- प्रार्थी श्री

3- पटवारी हल्का चकोता

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

दिनांक:- 14/05/2018

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर